

प्रेस नोट

पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात के निर्देशन में दिनांक:- 14.06.2026 को जनपद में अपराधियों के विरुद्ध व अपराध नियन्त्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान एवं जनपद में शान्ति व्यवस्था कायम रखने हेतु की गयी कार्यवाही का विवरण:

- थाना अकबरपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 0529/2025 धारा 3(1) गैंगस्टर अधिनियम व मु0अ0सं0 257/26 धारा 3/25 आयुध अधिनियम से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त सूरज सिंह पुत्र वंशलाल उर्फ वंशराज निवासी ग्राम सरैया लालपुर थाना शिवली जनपद कानपुर देहात उम्र करीब 25 वर्ष के कब्जे 01 अदद अवैध देशी तमंचा 315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद होने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना रनियां पुलिस द्वारा अभियुक्त सुरेन्द्र कुमार पाल पुत्र श्री रामेश्वर पाल निवासी मडैया करवक थाना रनियां जनपद कानपुर देहात उम्र करीब 41 के कब्जे से 18 अदद नाजायज क्वाटर ब्राण्ड मस्तीह् देशी शराब बरामद होने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0- 094/2026 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा अ0सं0—205/2026 धारा 85/108/352/61(2) बीएनएस से सम्बन्धित अभियुक्त महेन्द्र सिंह पुत्र श्री बलवीर सिंह निवासी रनियां थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात उम्र करीब-45 वर्ष (वांछित) को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना शिवली पुलिस द्वारा अ0सं0—209/2026 धारा 103(1) बीएनएस से सम्बन्धित अभियुक्त सूरज सिंह पुत्र स्व0 गोविन्द सिंह निवासी ग्राम मलिकपुर थाना शिवली जनपद कानपुर देहात उम्र करीब-22 वर्ष (वांछित) को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।

- थाना शिवली पुलिस द्वारा अ0सं0—528/16 धारा 323/504//50 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त राकेश पुत्र रामदयाल उम्र 45 वर्ष निवासी ग्राम बैरी बस्ता थाना शिवली जनपद कानपुर देहात (वारन्टी)को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना रूरा पुलिस द्वारा अभियुक्त राम नरायण गौतम पुत्र मोहन लाल उम्र 35 वर्ष निवासी विहानी मील (अम्बेडकर नगर) थाना रूरा जनपद कानपुर देहात के कब्जे से 16 क्वाटर देशी शराब मार्का ट्विन टावर बरामद होने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0- 184/2026 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी ।

जनपद में शांति व्यवस्था कायम रखने हेतु जनपद पुलिस द्वारा 28 व्यक्तियों के विरुद्ध थानावार क्रमशः जिसमें थाना अकबरपुर पुलिस द्वारा 05 व्यक्तियों, थाना रनियां पुलिस द्वारा 02 व्यक्तियों, थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना मूसानगर पुलिस द्वारा 03 व्यक्तियों, थाना रूरा पुलिस द्वारा 04 व्यक्तियों, थाना गजनेर पुलिस द्वारा 02 व्यक्तियों, थाना मंगलपुर पुलिस द्वारा 02 व्यक्तियों, थाना शिवली पुलिस द्वारा 02 व्यक्तियों, थाना रसूलाबाद द्वारा 07 व्यक्तियों का धारा 170/126/135 बीएनएसएस के अन्तर्गत चालान किया ।